

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- F 7(4) म.पर्य./पुन. प्रशिक्षण/आईसीडीएस/17 180 418

जयपुर दिनांक 8-10-18

कार्यालय आदेश

वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रशिक्षण कलेंडर के तहत महिला पर्यवेक्षकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित कर निर्देश दिये जाते हैं कि नामांकित पर्यवेक्षकों को मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में उपस्थिति देने के निर्देश देने का श्रम करे। इस संबंध में निम्न निर्देशों का ध्यान रखा जावे। (प्रशिक्षण की अवधि 10.10.2018 से 16.10.2018 तक है) :-

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नहीं भेजा जावे।
2. पुनश्चर्या प्रशिक्षण में ऐसी महिला पर्यवेक्षकों को नामांकित किया जावे जिसे कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किये 2 वर्ष या अधिक समय हो गया हो एवं पूर्व में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किये 2 वर्ष या अधिक समय हो गया हो।
3. यदि नामांकित पर्यवेक्षक प्रशिक्षण से बचने हेतु मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे तो उस पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच कराई जावे।
4. पर्यवेक्षक को यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान प्रशिक्षण स्थल पर ही किया जावेगा।
5. पर्यवेक्षक के आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध होगी।
6. किसी अन्य प्रशिक्षण के कारण से पर्यवेक्षक को इस प्रशिक्षण में जाने से नहीं रोका जावे।
7. यदि कोई पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में विशेष कारणों के अलावा उपस्थित न हो तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
8. प्रशिक्षण में कम उपस्थिति पर संबंधित उपनिदेशक की जिम्मेदारी होगी।
9. यदि नामांकित पर्यवेक्षक आपकी परियोजना में कार्यरत नहीं है तो संबंधित परियोजना को स्वयं के स्तर पर सूचित करे। साथ ही यदि किसी पर्यवेक्षक का नाम दुबारा नामित हुआ है या पर्यवेक्षक विशेष अवकाश अथवा विभाग में कार्यरत नहीं है तो उसकी जगह जिले से किसी अन्य पर्यवेक्षक को नामित कर सूचित करें।
10. प्रशिक्षणार्थी पर्यवेक्षक के साथ 8 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रू. 20/- आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रू. 150/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरुष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगा।
11. पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित महिला पर्यवेक्षक के बिना सूचना व पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- F 7(4) म.पर्य./पुन. प्रशिक्षण/आईसीडीएस/17 180 419 - 445

जयपुर दिनांक 8-10-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....को भेजकर लेख है प्रशिक्षण में नामांकित पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण में भिजवाये, यदि पर्यवेक्षक ने स्थानान्तरण होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो उनके पुराने पदस्थापन स्थान पर उक्त आदेशों को भिजवाते हुये उन्हें सूचित करें।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
4. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर।
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में दिनांक 10.10.2018 से 16.10.2018 तक पुनरचर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित महिला पर्यवेक्षकों की सूची :-

क. सं.	नाम पर्यवेक्षक सुश्री/श्रीमती	परियोजना का नाम	जिले का नाम
1.	गमरी चौबीसा	डूंगरपुर	डूंगरपुर
2.	दिव्या चौबीसा	डूंगरपुर	डूंगरपुर
3.	उत्सव चौहान	सागवाड़ा	डूंगरपुर
4.	वीना जोशी	सागवाड़ा द्वितीय	डूंगरपुर
5.	रेणु कासवा	जोधपुर सिटी	जोधपुर
6.	उषा रानी गौड़	जोधपुर सिटी	जोधपुर
7.	नाज प्रवीन	मण्डोर	जोधपुर
8.	कान्ता बोहरा	मण्डोर	जोधपुर
9.	ज्योति पंचोली	आसीन्द	भीलवाड़ा
10.	पुष्पा व्यास	भीलवाड़ा सिटी	भीलवाड़ा
11.	मंजू जैन	हूरडा	भीलवाड़ा
12.	रजिया बेगम	जहाजपुर	भीलवाड़ा
13.	भगवती स्वारकार	कोटडी	भीलवाड़ा
14.	सुशीला सैन	रायपुर	भीलवाड़ा
15.	इन्द्रा बनगर	सुवाणा	भीलवाड़ा
16.	दुर्गा पालीवाल	देसुरी	पाली
17.	आशा बरेसा	सोजत सिटी	पाली
18.	उषा मेहता	सोजत सिटी	पाली
19.	नीलम गहलोत	सुमेरपुर	पाली
20.	रेखा चौधरी	कुम्भलगढ़	राजसमन्द
21.	कैलाश शर्मा	खमनोर	राजसमन्द
22.	प्रेम शर्मा	खमनोर	राजसमन्द
23.	चन्द्रकान्ता	खमनोर	राजसमन्द
24.	गीता परमार	किनोड़ा	सिरोही
25.	मधु महाजन	हनुमानगढ़ ग्रामीण	हनुमानगढ़